

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 49

एड्स नियंत्रण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	1699.00	...	1699.00
पूँजी	1.00	...	1.00
जोड़	1700.00	...	1700.00
1. सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251	11.62	...	11.62
2. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सहायता अनुदान	
2.01 निवारण संबंधी कार्यक्रम अर्थात् लक्षित हस्तक्षेप (टीआई), यौनसंचारित संक्रमण (एसटीआई) रक्त सुरक्षा, मुख्य धारा में लाना, सर्वेक्षण तथा लिक कार्यकर्ता योजना	2210	581.54	...	581.54
2.02 एंटी रिट्रोवायरल चिकित्सा, समेकित परामर्श तथा परीक्षण केन्द्रों सहित परिचर्या, सहायता और उपचार (सीएसटी)	2210	358.88	...	358.88
जोड़- राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सहायता अनुदान		940.42	...	940.42
3. सूचना, शिक्षा और संप्रेषण	2210	62.50	...	62.50
4. स्वापकों/किटों की खरीद	
4.01 रक्त सुरक्षा/परीक्षण उपस्कर आदि	2210	75.23	...	75.23
4.02 स्वापक और उपभोक्ता वस्तुएं	2210	312.78	...	312.78
जोड़- स्वापकों/किटों की खरीद		388.01	...	388.01
5. राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद	2210	2.00	...	2.00
6. कंडोमों की आपूर्ति	2210	122.45	...	122.45
7. रक्त एवं रक्त उत्पादों हेतु कार्यक्रम	2210	1.00	...	1.00
8. मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय	4210	1.00	...	1.00
9. अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान	2210	1.00	...	1.00
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं	
10.01 निवारण संबंधी कार्यक्रम अर्थात् http://indiabudget.nic.in	2552	133.34	...	133.34

9. **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान:** यह प्रावधान एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि में भारत सरकार के अंशदान के लिए है।

10. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं:** योजना आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान निर्धारित किया गया है।